CHEKLIST FOR APPLICATION OF GENERAL TRADING LICENSE (GTL)

No	Requirements	Y/N	Remarks
1	The applicant shall state in their Application the purpose for obtaining GTL.		
2	Duly filed Form "C".		
3	Previous GTL Certificate.		
4	Ship Survey Status Report.		
5	Certificate of Class		
6	Capacity Plan / Safety Construction Certificate		
7	International Tonnage Certificate.		
8	Provisional Certificate of Registry. Certificate of Registry.		
9	Bharat-Kosh Payment Receipt, Rs. 20,000/- (Costal), Rs. 40,000/- (Worldwide), Rs. 40,000/- (Costal & Worldwide).		Ref. No. & Date
10	Amendment in GTL (Other than Change of Ownership) Rs. 10,000/		

(Tick' if complied. 'X' if not. Clarify if NA (not applicable)

Please note that the documents are required to be submitted in hard copy as well as by soft copy in single pdf file on email id regn.mum-mmd@gov.in and mukeshyadav.mmd@gov.in

Note: - Photocopy of any documents enclosed / attached as per the checklist should be duly signed and stamped by the company authorised person only. Without aforesaid attestation and stamp no documents shall be accepted by this office.



भारत सरकार दवारा जारी Issue by the Govt. of India

भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय GOVERNMENT OF INDIA THE MINISTRY OF SHIPPING पात परिवहन विभाग (Dept. of Transport)

सामान्य या निर्दिष्ट अवधि के लाइसेंस के आवेदन-पत्र वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अधीन APPLICATION FOR GENERAL OR SPECIFIED PERIOD LICENCE UNDER SECTION 406 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958

	आवेदक का नाम :	
	Name of Applicant :	
	आवेदक का पता :	
	Address of Applicant :	
सेवा में/То,		
नौवहन महानिदेश	क, मुंबई-400 042	
THE DIRECTO	R GENERAL OF SHIPPING,	
BOMBAY.		
	वारा पोत को, जिसका विवरण पिछले पृष्ठ पर दिया गया है, उक्त विवरण के खाने 9 में उल्लिखित व्याप	
(व्यापारा म चलान	ने हेतु (1) सामान्य ((II) निर्दिष्ट कालाविध लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है । यह जात हुआ है ।	Т
	र्तमान या अविष्य नौचालन आदेश पर (बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, दिया जाएगा और पोत को किसी अन	
	से अथवा पोत या उसका ब्यौरा, यात्री, सामग्री, बंकर, उपस्कर आदि के प्रभावित करने वाले आदेशों की पूर्त	
	गी । यह भी ज्ञान हुआ है कि पोत, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, के मालिक या आवधिक किराए	
	अनुरोध पर नौवहन महानिदेशक की, उससे वांछित ऐसे विवरण जो आड़े पर, पोत पर लिये गए ब्यौरों व	
	हुए यत्रियों की संख्या, वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 413 में निर्दिष्ट सभी सामग्री और इ	स
लाइसेंस के अधीन	हर की गयी प्रस्तावित समुद्री यात्रा के लिए वहन की शर्तों से संबंधित ही भेज दें ।	
the reverse, to pl	cation is hereby made for a general specified period licence for the ship of which particulars are given or ly in the trade (s) mentioned in column 9 of the said particulars. It is understood that the grant of ade without prejudice to any Navigation Order made or tobe made and will not exempt the ship fro	a
	any other lawful requirements or directions affecting the ship or her cargo, passengers, stores, bunker	
equipment, ect. I	t is further understood that the owner(s) or time chatterer(s) of the ship for which a licence is grante	ed
	orward to the Director General of Shipping such particulars as he may require with respect to the rate re and quantity of cargo carried, the number of passengers embarked, all other matters referred to	
sec. 413 of the Me	erchant Shipping Act, 1958 and conditions of carriage for each voyage made or proposed to be made b	
the ship under the	e licence.	
लाइसेंस	से	के
लिए अपेक्षित है।		
The licence is req	uired for a period of months from	te
of Registry		
मैं/हम यह परिवचन	ं देता हूँ/ देते हैं कि मैं/ हम सभी लागू प्रमाण-पत्र और बीमा कवर को स्थान में और सदा वैध रखूँगा/ रखेंगे और यह इ	स
	के साथ होगा कि इसमें चूक होने की स्थिति में लाइसेंस स्वतः निलंबन हो जाएगा ।	
I/we do hereby un	ndertake to keep all applicable certificates and insurance cover in place and valid at all times with fu	Ш
knowledge of the o	consequences of default, which will be an automatic suspension of the license.	
1 2 71	आवेदक के हस्ताक्षर :	
	Signature of Applicant	
	की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होने चाहिए ।	
The Signature mu by him.	ast be that of the person having the management of the ship or a person duly authorised in that behal	lf
	तारीखः	
	Dated	

पोत का विवरण PARTICULARS OF SHIP

पोत का नाम और आधिकारिक संख्या Name of Vessel	नाम और पता - (अ) मासिक (ब) आवधिक किराये पर लेने वाले (यदि कोई हों) किराये पर लेने की अवधि से उल्लिखित (a) Owners (b) Time chatterers (if any) stating duration of charter	Official Number	रजिस्ट्री पत्तन Port of Registry	कुल टनभार Gross	कुल गांठ की घन क्षमता Total bale cubic capacity	(अ) फलकों की संख्या और प्रत्येक की कुलभार भारिता (ब) बंकरों सहित कुलभार भारिता (a) Number of holds and deadweight capacity of each (b) Total deadweith capacity including bunkers	भारित ड्राफ्ट Loaded draft	(अ) व्यापार (ब) विशेष व्यापार (यदि कोई हो) जिसमें पोत पूर्णतः पर अंशतः लगाया गया है (क) निर्दिष्ट अवधि (a) Trade (b) Special trade (if any) in which ship will be wholly or partly engaged and (c) Specified period.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(3f) (a) (a) (b)					(3f) (a) (₹) (b)		(3) (a) (f) (b) (क) महीनों की अविध के लिए (c) For a period

यह प्रपत्र प्रा भर के दो प्रतियों में प्रस्तुत करना चाहिए (निम्नलिखित/ टिप्पणी देखिए) THIS FORM IS TO BE COMPLETED AND LODGED IN DUPLICATE(see Note below) टिप्पणी/ NOTE

प्रपत्र डी

यदि आवेदन पत्र को लाइसेंस मिले तो उसे पोत पर रखने के लिए मास्टर के पास भेज दिया जाए । If the application is granted the licence should be forwarded to the Master for retention on board the ship.

FORM D.	(Space reserved for Official use only.)
लाइसेंस संख्या LICENCE NUMBER	
(वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 466) LICENCE (Section406 of the Merchant Shipp	
सभी संबंधित विनियमों, नियमों और आदेशों का This Licence is granted in accordance with the	अधीन उपर्युक्त आवेदन में दिए गए विवरण के अनुसार और इस समझौते पर दिया जाता है कि पालन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाएगा । e particulars set out in the above application,subject to the limitations and conditions stated int Regulations, Rules and Orders have been, are being, or willbe complied with.
	निकासी आवेदन-पत्र देते समय सीमा शुल्क समाहर्ता को प्रस्तुत करना होगा औरतक/ न्त अथवा इससे पूर्व जहां तक नौवहन महानिदेशक द्वारा प्रतिसहित या रूपान्तरित किया गया हो ने धारा 408 देखिए ।
reunions valid upto / Co-ter	r of Customs in making application for clearance for each voyage from an Indian ports, and minus with the Certificate of Registry rector General of Shipping, vide section 408 of the Merchant Shipping Act, 1958.
मुंबई Mumbai, तारीख dated	
	नौवहन महानिदेशक/भारतीय पोत रजिस्ट्रार

DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING./ REGISTRAR OF INDIAN SHIPS

(यह जगह केवल कार्यालय उपयोग के लिए आरक्षित है)